2019/00040

# निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर

प्रकरण संख्या 09/2019 (राजस्व अपील)

1. वी॰ ए॰ एहलावत एण्ड सन्स (एच यू एफ )मार्फत कर्ता विजेन्द्र सिंह पुत्र केहरी सिंह पता 53, श्री रामपुरा कालोनी, सिविल लाईन्स, जयपुर ।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर ।
2. श्री राजीव चौधरी पुत्र गिरधारी लाल जाति जाट
3. श्रीमती सायल चौधरी पत्नी श्री राजीव चौधरी जाति जाट

समस्त निवासी प्लाट नम्बर 36–27 शास्त्री नगर, शोपिंग सेन्टर, पीतल फैक्ट्री के पास, जयपुर

प्रत्यर्थीगण

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार जयपुर नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 26 12.1994 ग्राम मीनावाला तहसील जयपुर ।

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश बागडा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से ।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित है।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

निर्णय दिनांक 14-10-2019

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मीनावाला तहसील जयपुर के हाल आराजी खसरा नम्बर 12/1 रकबा 2 बीघा एवं खसरा नम्बर 33/427 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा में स्थित है। जिसमें अपीलार्थी ने उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 17.06.1094 को खातेदार श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रणधीर सिंह एवं दयानन्द पुत्र श्री शिवनायण से कय कर मौके पर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया और कय के दिन से अपीलार्थी उक्त भूमि पर काबिज काश्त हो कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि को कय करने के पश्चात अपीलार्थी ने नायब तहसीलदार जयपुर के समक्ष नामान्तरकरण खुलवाने बाबत आवेदन किया जिस पर तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 26 12.1994 को तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया उक्त नामान्तरकरण में नायब तहसीलदार जयपुर ने नामान्तरकरण 219 भरते समय अपीलार्थी का नाम वी॰ ए॰ एहलावत एण्ड सन्स (एच यू एफ ) मार्फत कर्ता विजेन्द्र सिंह पुत्र हरी सिंह दर्ज कर दिया जबकि विकय पत्र के मुताबिक कर्ता विजेन्द्र सिंह पुत्र केहरी सिंह होना चाहिये था। जिससे व्यथित हो कर यह अपील पेश की है । अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त फरमावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस विपक्षीगण के जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने जबाब प्रस्तुत किया । विपक्षी संख्या 2 व 3 स्वयं उपस्थित है। तहत रिकार्ड तलब किया गया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई । अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ तहसीलदार ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय पंजीयन दस्तावेज के विपरीत केता अपीलार्थी के पिता के नाम की पृविष्टी केहरी सिंह के बजाय हरि सिंह दर्ज कर दी जो न्याय व कानून के सिद्वान्तों के प्रतिकूल है। अपीलार्थी को अपीलाधीन नामान्तरकरण की पूर्व में जानकारी नही थी । दिनांक 21.01.2019 को अपीलार्थी ने उक्त भूमि पर कृषि लोन लेने के लिये जमाबन्दी पटवारी से प्राप्त की तो, अपीलार्थी को पता चला की जमाबन्दी में अपीलार्थी के पिता का नाम केहरी सिंह के स्थान पर हरिसिंह दर्ज है। इसके पश्चात अपीलार्थी ने दिनाक 12.03.219 को नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी हुई। मामले में अपीलार्थी के खातेदार अधिकार निहित है। इसलिए विलम्ब अवधि का कन्डोन किया जा कर अपील स्वीकार फरमाई जावे।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या एक तहसीलदार जयपुर ने अपने पत्र कमांक 6681 दिनांक 26.09.2014 से अपीलार्थी के कथन पुष्टि की है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 ने अपील स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज नहीं कर अपील स्वीकार करने का समर्थन किया है।
5. उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
6. सर्वप्रथम हम अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है किन्तु अपीलान्ट की ओर से अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए दिये गये तर्को से हम सहमत है। इसलिए न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है । अपील का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।
7. अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थी का नाम विजेन्द्र सिंह पुत्र हरी सिंह दर्ज किया गया है जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र में विजेन्द्र सिंह पुत्र केहरी सिंह दर्ज है। प्रत्यर्थीगण ने भी अपीलार्थी के कथन की पुष्टि की है। चूंकि विक्रय पत्र एवं उसके आधार पर स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण में अपीलार्थी की वल्दियत में भिन्नता है। परिणामतः फलस्वरूप अपील स्वीकार की जातीं है ।
8. तहसीलदार जयपुर द्वारा राजस्व ग्राम मीनावाला तहसील जयपुर के नामान्तकरण संख्या 219 पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.1994 को अपास्त किया जाता है।
9. प्रकरण तहसीलदार जयपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी को सुन कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।
10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार जयपुर को मय तहत रिकार्ड प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
11. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जयरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर